कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) जहां तक कल्याण मंत्रालय का संबंध है स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक अनुदान दिये जाते हैं :--

1. अनुसूचित जातियों का कल्याण
2. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
3. सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों का कल्याण
4. मद्यनिषेध और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करना
5. वृद्धों का कल्याण
6. विकलांगों का कल्याण

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न मापदंड निर्धारित किये गए हैं। फिर भी, एक स्वयंसेवी संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ मूल आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं :--

(i) संगठन को समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) संगठन सामान्यतः अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए।

(iii) संगठन को दो वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत होना चाहिए।

(iv) संगठन को संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए।

(v) संगठन की सेवाएं, जाति, रंग और धर्म के भेदभाव किए बिना सभी को उपलब्ध होनी चाहिए।

(vi) संगठन को परियोजना की कुल लागत का कुछ हिस्सा अपने स्रोतों से पूरा करना चाहिए।

(ग) धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों से उनको दिये गए सहायक अनुदान के संबंध में लेखों का लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है। संगठनों के लेखाओं और कार्य का कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच और निरीक्षण किया जा सकता है।

Removal of Encroachments in Yamuna Vihar

328. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the progress of the action already initiated by November 2, 1988 to remove the encroachments adjoining the Pockets C-10, C-11 in the Yamuna Vihar Scheme, Delhi as was also assured in the letter No DDA/CE|IP|1|85|182 dt. 7-8-85 from the Chief Engineer, DDA (Land Protection);

(b) the pocketwise details of the encroachments so removed and the dates of removal; and

(c) whether as a short-term measure, construction of a boundary wall was considered and if so, with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) DDA has reported that a programme for removal of encroachment was made. However, the same could not materialise due to non availability of Police Force.

(c) No, Sir.

Intruptions to AIR and Doordarshan following Bombay High Court's ruling on censorship or views

329. SHRI LAL K ADVANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2251 given in the Rajya Sabha on the 12th August, 1988 and state:

(a) The exact instructions that have been issued to the All India Radio and